

CD-907

LL. B. (Part I) (Second Semester) (ATKT) EXAMINATION, 2020

Paper Second

LAW OF CRIMES—II

(Cr. P. C., Juvenile Justice Act and Probation of
Offenders Act)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 100

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब' प्रत्येक से दो-दो प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt *five* questions in all. *Two* questions each from Section A and Section B are compulsory. All questions carry equal marks.

खण्ड—अ

(Section—A)

1. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :
 - (i) जमानतीय और गैर-जमानतीय अपराध
 - (ii) जाँच, अन्वेषण और विचारण
 - (iii) संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध
 - (iv) पुलिस रिपोर्ट

Define the following :

- (i) Bailable and Non-bailable Offence
 - (ii) Inquiry, Investigation and Trial
 - (iii) Cognizable and Non-cognizable Offence
 - (iv) Police Report
2. धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है ? विवेचना कीजिए।

Who are entitled to maintenance under Section 125 of the Code of Criminal Procedure ? Discuss.

3. सत्र न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरणों के विचारण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

Describe the procedure to be adopted by the Court of Session for trial of criminal cases.

4. आरोप को परिभाषित कीजिए एवं आरोप की अन्तर्वस्तु क्या है, समझाइए।

Define charge and state what are the contents of charge.

5. जमानत क्या है ? यदि कोई अपराध गैर-जमानतीय हो, तो जमानत कब स्वीकार की जा सकती है ?

What is Bail ? If it is a non-bailable offence when bail can be accepted ?

खण्ड—ब

(Section—B)

6. भारत में परिवीक्षा कानून के क्रियान्वयन को विस्तार से समझाइए।

Explain in detail the working of Probation Law in India.

7. परिवीक्षा से आप क्या समझते हैं ? परिवीक्षा का लाभ देने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ?

What do you understand by Probation ? What are the essential conditions for granting the benefit of Probation ?

8. परिवीक्षा अधिकारी की परिभाषा दीजिए तथा उनकी नियुक्ति एवं कर्तव्यों के बारे में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

Define probation officer and discuss the provisions of the Probation of Offenders Act in respect of their appointment and duties.

9. किशोर गृह क्या है ? किशोर गृहों के क्या उद्देश्य एवं कार्य हैं ? किशोर गृहों एवं संप्रेक्षण गृहों में अन्तर कीजिए।

What is Juvenile Home ? What are the aims and functions of Juvenile Homes ? Distinguish juvenile homes from observation homes.

10. किशोर न्याय अधिनियम की पृष्ठभूमि समझाइए। इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।

Explain the history of Juvenile Justice Act. What are the aims of this Act ?